प0सं0--वि0व0संग्रह/(19–20)/ 93 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: 12 अप्रैल, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय : दि0 31.03.2019 तक वैट अधिनियम की धारा 31/32 के अन्तर्गत प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण व स्थगन के समस्त मामलों की समीक्षा कर स्थगन समाप्त कराये जाने हेतु शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दि0 31.05.2019 तक दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या 1339 दिनांक 22.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आच्छादित बकाया से सम्बन्धित ऑकड़ों को मदवार शुद्ध करने व व्यास पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे बकाया के ऑकड़ों को एम0पी0आर0 के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

आप विदित हैं कि आच्छादित बकाया से सम्बन्धित बहुत बड़ी धनराशि वैट अधिनियम की धारा 31/32 के प्रार्थना पत्रों का समयान्तर्गत निस्तारण न किये जाने के कारण अवरूद्ध रहती है जिससे ऑकड़ों के शुद्धीकरण का कार्य एवं राजस्व वसूली का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। इसी प्रकार विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त स्थगन आदेशों में स्थगन की शर्तें पूर्ण न होने पर भी स्थगन दिखाया जाता रहता है, जबकि स्थगन की शर्तें पूर्ण न होने पर स्थगन स्वतः समाप्त हो जाता है ऐसे मामलों में वसूली की कार्यवाही नियमानुसार करायी जाय।

अतः आपसे अपेक्षित है कि दिनांक 31.03.2019 तक प्राप्त धारा 31/32 के समस्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण दिनांक 31.05.2019 तक सुनिश्चित किया जाय एवं स्थगन के बड़े (रू0 एक लाख से ऊपर के) मामलों की समीक्षा करके जिनमें स्थगन की शर्तें पूर्ण हों, उनमें शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दाखिल कराया जाय।

12/4/19

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।